सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/29 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र देराजराम
2. मिरगोदेवी पत्नी देराजराम
   जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
3. सोहनलाल पुत्र धर्माराम
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. उगम कवंर पत्नी रामसिंह
2. मदनसिंह पुत्र रामसिंह
3. शैतानसिंह पुत्र रामसिंह
4. मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह
5. शंभूसिंह पुत्र रामसिंह
6. हरिसिंह पुत्र रामसिंह
7. सुरम कंवर पुत्री राणसिंह
8. एवन पुत्री राणसिंह
9. खुशबू पुत्री जोगसिंह
10. दिलखुश पुत्री जोगसिंह
11. दीक्षा पुत्री जोगसिंह
12. शोभा कवंर पत्नी जोगसिंह
13. नाबालिंग रविन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह
14. नाबालिंग रितिक पुत्री देवीसिंह
15. नाबालिंग चंद्रवीरसिंह पुत्री देवीसिंह
    प्रतिवादी संख्या 13 से 15 नाबालिंग वली माता तारूकंवर पत्नी देवीसिंह
16. तारूकंवर पत्नी देवीसिंह
17. बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह
18. राजेश नरूका पुत्र अमरसिंह नरूका
    जाति राजपुत निवासी नयानगर पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर
19. जगदीश पुत्र विष्णुदास
20. हीराराल पुत्र विष्णुदास, कुवार लाऔलाद फौत होने से कायम मु0 वारिशान
    20/1 तारादेवी पत्नी विष्णुदास
    जाति खत्री निवासी 20 गोल्फ कोर्स स्कीम जोधपुर
21. हरेन्द्रप्रताप चौधरी पुत्र दौलतराम चौधरी
    जाति जाट निवासी गंगाणा जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

.................असल प्रतिवादीगण

22. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
23. तहसीलदार गुढामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 492 / 1 / 35.5313 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 18 से 21 विधिवत तामिल बाद असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 18 से 21 द्वारा निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच में मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है और वहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकियात कायम किये–

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

1. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे वादी

2. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे वादी

3. *आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी खसरा संख्या 492/1 का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे प्रतिवादी 18 से 21

4. *अन्य दादरसी।*

   ....उभयपक्षकारान

4. प्रकरण में उभय अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान—ए—बहस वादीगण का खाता बाई मिटस बाई बाउण्ड पृथक किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 18 से 21 ने कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.05.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक राजकाज रेफरेंस संख्या 18793320 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक राजकाज रेफरेंस संख्या 18793320 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 30.10.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की	प्रकरण में [illegible] को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय [illegible] तहसील गुड़ामालानी के नोटिस [illegible] 2531—[illegible] दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	निरीक्षण की दिनांक 3010.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2531—2551 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 3010.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

5. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 492／1／35.5313 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 03 स्वीकार की जाती है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदार की आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान／अतिक्रमण किया जा रहा हो／किया जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। प्रकरण में तनकी संख्या 02 स्वीकार की जाती है।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 492/1/35.5313 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जितेन्द्र कुमार पुत्र देराजराम हि0 277/1007 जाति जाट सा0 निम्बलकोट खातेदार मिरगोदेवी पत्नी देराजराम हि0 277/1007 जाति जाट सा0 निम्बलकोट खातेदार सोहनलाल पुत्र धर्माराम हि0 453/1007 जाति जाट सा0 आडेल खातेदार	नया नगर	492/1	16.3006 है0	बा0 सो0
कुल किता 01 रकबा 16.3006 है0				
उगमकंवर पत्नी रामसिंह हि0 41/792 रहन SBI गुड़ामालानी एवन कवंर पुत्री राणसिंह हि0 7/216 रहन SBBJ गुड़ामालानी खुशबू पुत्री जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी नाबालिंग चंद्रवीरसिंह पुत्र देविसिंह संरक्षक माता तारूकंवर हि0 25/1188 रहन SBI गुड़ामालानी जगदीश कुमार पुत्र विष्णुदास खत्री हि0 3/176 तारू कंवर पत्नी स्व0 देविसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी दिलखुश पुत्री जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी दीक्षा पुत्री जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 461/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी मदनसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 रहन SBI गुड़ामालानी मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792	नया नगर	492/1	19.2307	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

नाबालिंग रविंद्रसिंह पुत्र देविसिंह संरक्षक माता तारू कंवर हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी राजेश नरूका पुत्र अमरसिंह नरूका हि0 3/176 नाबालिंग रितिका पुत्र देविसिंह संरक्षक माता तारू कंवर हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 शंभूसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी सुरम कंवर पुत्री राणसिंह हि0 7/216 रहन SBBJ गुड़ामालानी हरेन्द्रप्रताप चौधरी पुत्र दौलतराम चौधरी हि0 3/176 जाति जाट सा0 गंगाणा हरिसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 रहन SBI गुड़ामालानी हीरालाल पुत्र विष्णुदास खत्री हि0 3/176				
कुल किता 01 रकबा 19.2307 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/29 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र देराजराम
2. मिरगोदेवी पत्नी देराजराम
   जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
3. सोहनलाल पुत्र धर्माराम
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. उगम कवंर पत्नी रामसिंह
2. मदनसिंह पुत्र रामसिंह
3. शैतानसिंह पुत्र रामसिंह
4. मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह
5. शंभूसिंह पुत्र रामसिंह
6. हरिसिंह पुत्र रामसिंह
7. सुरम कंवर पुत्री राणसिंह
8. एवन पुत्री राणसिंह
9. खुशबू पुत्री जोगसिंह
10. दिलखुश पुत्री जोगसिंह
11. दीक्षा पुत्री जोगसिंह
12. शोभा कवंर पत्नी जोगसिंह
13. नाबालिंग रविन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह
14. नाबालिंग रितिक पुत्री देवीसिंह
15. नाबालिंग चंद्रवीरसिंह पुत्री देवीसिंह
    प्रतिवादी संख्या 13 से 15 नाबालिंग वली माता तारूकंवर पत्नी देवीसिंह
16. तारूकंवर पत्नी देवीसिंह
17. बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह
18. राजेश नरूका पुत्र अमरसिंह नरूका
    जाति राजपुत निवासी नयानगर पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर
19. जगदीश पुत्र विष्णुदास
20. हीराराल पुत्र विष्णुदास, कुवार लाऔलाद फौत होने से कायम मु0 वारिशान
    20/1 तारादेवी पत्नी विष्णुदास
    जाति खत्री निवासी 20 गोल्फ कोर्स स्कीम जोधपुर
21. हरेन्द्रप्रताप चौधरी पुत्र दौलतराम चौधरी
    जाति जाट निवासी गंगाणा जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

.....असल प्रतिवादीगण

22. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
23. तहसीलदार गुढामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 492/1/35.5313 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जितेन्द्र कुमार पुत्र देराजराम हि0 277/1007 जाति जाट सा0 निम्बलकोट खातेदार मिरगोदेवी पत्नी देराजराम हि0 277/1007 जाति जाट सा0 निम्बलकोट खातेदार सोहनलाल पुत्र धर्माराम हि0 453/1007 जाति जाट सा0 आडेल खातेदार	नया नगर	492/1	16.3006 है0	बा0 सो0
कुल किता 01 रकबा 16.3006 है0				
उगमकंवर पत्नी रामसिंह हि0 41/792 रहन SBI गुड़ामालानी एवन कवंर पुत्री राणसिंह हि0 7/216 रहन SBBJ गुड़ामालानी खुशबू पुत्री जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी नाबालिंग चंद्रवीरसिंह पुत्र देविसिंह संरक्षक माता तारूकंवर हि0 25/1188 रहन SBI गुड़ामालानी जगदीश कुमार पुत्र विष्णुदास खत्री हि0 3/176 तारू कंवर पत्नी स्व0 देविसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी	नया नगर	492/1	19.2307	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

दिलखुश पुत्री जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी दीक्षा पुत्री जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 461/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी मदनसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 रहन SBI गुड़ामालानी मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 नाबालिंग रविंद्रसिंह पुत्र देविसिंह संरक्षक माता तारू कंवर हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी राजेश नरूका पुत्र अमरसिंह नरूका हि0 3/176 नाबालिंग रितिका पुत्र देविसिंह संरक्षक माता तारू कंवर हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 शंभूसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 25/1188 रहन SBBJ गुड़ामालानी सुरम कंवर पुत्री राणसिंह हि0 7/216 रहन SBBJ गुड़ामालानी हरेन्द्रप्रताप चौधरी पुत्र दौलतराम चौधरी हि0 3/176 जाति जाट सा0 गंगाणा हरिसिंह पुत्र रामसिंह हि0 41/792 रहन SBI गुड़ामालानी हीरालाल पुत्र विष्णुदास खत्री हि0 3/176				
कुल किता 01 रकबा 19.2307 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर